संख्या-80/2020/3810/41-2019

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 2020**

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष माहों के व्यय को वहन किए जाने हेतु सम्बन्धित मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4634/3-लेखा/पुनर्विनियोग-19-20/2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र में किये गये प्रस्तावानुसार संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के स्तम्भ-1 में अंकित मद में व्यवस्थित धनराशि से स्तम्भ-7 में अंकित मदों में कम पड़ रही धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय संगत नियमों के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा। पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनाशि का व्यय/भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इन कार्यों की सक्षमस्तर से स्वीकृति प्राप्त की गयी है तथा कार्यों को कराये जाने में संगत वित्तीय नियमों का शत्-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। भुगतान करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के पूर्व इन कार्यों/मदों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित बिल बाउचर्स आदि का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा इसका भौतिक सत्यापन भी थर्ड पार्टी से सुनिश्चित करा लिया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित समस्त विवरण महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या आर0ई-407/दस-2020 दिनांक 19 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2019-20 धनराशि रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व मद	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन	**954.81**	**161.00**	**161.00**	**17.00**	**937.81**	3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-**02-मजदूरी**	3.00	6.50	3.50	1.00	4.00
						3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-**17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व**	30.00	36.00	6.00	6.00	36.00
						3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-**49-चिकित्सा व्यय**	7.20	30.70	23.50	10.00	17.20
						3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-**58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान**	1.00	24.00	23.00	-	-
						योग–	**41.20**	**97.20**	**56.00**	**17.00**	**57.20**
						3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-**16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**	**250.00**	**355.00**	**105.00**	-	-
कुल योग–	**954.81**	**161.00**	**161.00**	**17.00**	**937.81**	**कुल योग–**	**291.20**	**452.20**	**161.00**	**17.00**	**57.20**

नोट:-1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-समान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 954.81 लाख में से रू0 161.00 लाख के व्यय की आवश्यकता वर्तमान वित्तीय वर्ष में न होने के कारण बचत सम्भावित है। **2.** स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण:-उक्त सन्दर्भित मानक मदों में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण वित्तीय वर्ष2019-20 के व्ययो को वहन करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। 3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-आरई0-407/दस-2020 दिनांक 19 फरवरी, 2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

राजेन्द्र राम
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-80/2020/3810(1)/41-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अयोध्या ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
7. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।